रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 261] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 11, 2017/आश्विन 19, 1939
No. 261] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 11, 2017/ ASVINA 19, 1939

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2017

फा. सं. 7/10/2014-एनएस.—केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय बचत सावधि जमा नियम, 1981 के नियम 4, उप-नियम (3) के साथ पठित नियम 2 के खंड (कङ) के अनुसरण में पब्लिक सेक्टर के सभी बैंकों और तीन प्राइवेट बैंक अर्थात आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड; ऐक्सिस बैंक तथा एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को राष्ट्रीय बचत सावधि जमा नियम, 1981 के अधीन राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से अभिदान प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. इस अधिसूचना के तहत प्राधिकार निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है, अर्थात-

(i) अल्प बचत स्कीमों के प्रचालन और लेखाकरण के लिए प्रत्येक स्कीम के विनिर्दिष्ट कृत्यकारी सहित बैंक में समर्पित सॉफ्टवेयर हो;

(ii) बैंक सभी शाखाओं में ऑनलाइन प्रचालनों के माध्यम से इस स्कीम को प्रबंध कर सकेंगे जो पर्याप्त सुरक्षा जांच के अध्यधीन कोर बैंककारी सोल्युशन (सीबीएस) पर है। शाखाएं जिन्हें राष्ट्रीय बचत सावधि जमा स्कीम सीबीएस प्लेटफार्म में प्रचालन कर सकेंगे।

(iii) सभी विप्रेषण भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर में, सरकारी खाते में कोर बैंककारी सोल्युशन शाखाओं के मामले में एक दिन के भीतर और गैर कोर बैंककारी सोल्युशन शाखाओं के मामले में तीन दिनों के भीतर जमा किए जाएंगे, विप्रेषण में विलंब होने पर तीस दिन तक विलंब के मामले में बैंक जमाकर्ता को भुगतान योग्य ब्याज दर और 0.5% के बराबर और तीस दिन से अधिक विलंब होने के मामले में और 1% की शास्ति का भुगतान करेगा;

(iv) बैंक शाखाओं की सूची अग्रिम में घोषणा करेंगे जो इस स्कीम में प्रचालन नहीं करेंगे;

(v) बैंक की कोई सीबीएस शाखाएं इस स्कीम प्रचालन से अपवर्जित होती हैं, ऐसा बैंक इस बारे में वित्त मंत्रालय को सम्यक अधिकारिता प्रदान करेगा;

(vi) स्कीम उपाबंधों के अनुसार राष्ट्रीय बचत सावधि जमा स्कीम प्रचालन के लिए बैंक असफल हो जाने पर उद्भूत किसी धनीय दायित्व स्कीम प्रचालन के लिए अप्राधिकृत होने हेतु दायी के अतिरिक्त ,बैंक उसी वहन के लिए दायी होगा;

(vii) इन निबंधनों और शर्तों के आधार पर किसी बैंक से शोध्य होने पर शास्तियों सहित किसी रकम के मामले में, केंद्र सरकार उस राशि को बैंक से वसूल करेगी;

(viii) बैंक, इस स्कीम के प्रचालन से संबंधित वित्त मंत्रालय को आवधिक रिपोर्टें प्रस्तुत करेंगे।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए पद पब्लिक सेक्टर के बैंक" का वही अर्थ होगा जैसाकि आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23घ) में दिए गए स्पष्टीकरण समनुदेशित किया गया है।

[फा.सं. 7/10/2014-एनएस]

प्रशांत गोयल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम सा.का.नि. 664 (अ) तारीख 17 दिसंबर, 1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात सा.का.नि 300(अ), तारीख 1 अप्रैल, 1982, सा.का.नि 257(अ), तारीख 11 मार्च, 1983, सा.का.नि 502(अ), तारीख 9 जुलाई,1984, सा.का.नि 418(अ), तारीख 10 मई, 1985, सा.का.नि 193(अ), तारीख 12 फरवरी, 1986, सा.का.नि 362(अ), तारीख 1 अप्रैल, 1987, सा.का.नि 1005(अ), तारीख 23 दिसंबर, 1987, सा.का.नि 353(अ), तारीख 18 मार्च, 1988, सा.का.नि 507(अ), तारीख 23 मई, 1990, सा.का.नि 191(अ), तारीख 27 मार्च, 1991, सा.का.नि 580(अ), तारीख 12 सितंबर, 1991, सा.का.नि 727(अ), तारीख 6 दिसंबर, 1991, सा.का.नि 431(अ), तारीख 24 अप्रैल, 1992 सा.का.नि 586(अ), तारीख 2 सितंबर, 1993, सा.का.नि 118(अ), तारीख 8 मार्च, 1995, सा.का.नि 5(अ), तारीख 1 जनवरी, 1999, सा.का.नि 34(अ), तारीख 15 जनवरी, 2000, सा.का.नि 151(अ), तारीख 1 मार्च, 2001, सा.का.नि 159(अ), तारीख 1 मार्च, 2002, सा.का.नि 174(अ), तारीख 1 मार्च, 2003, सा.का.नि 589(अ), तारीख 25 जुलाई, 2003, सा.का.नि 286(अ), तारीख 13 मई, 2005, सा.का.नि 479(अ), तारीख 26 जून, 2008, सा.का.नि 742(अ), तारीख 4 अक्तूबर, 2011, सा.का.नि 846(अ), तारीख 25 नवंबर,2011, सा.का.नि 323(अ), तारीख 25 अप्रैल, 2012, सा.का.नि 400(अ), तारीख 25 जून, 2013, सा.का.नि 222(अ), तारीख 13 मार्च, 2014, सा.का.नि 490(अ), तारीख 11 जुलाई, 2014, सा.का.नि 356(अ), तारीख 29 मार्च, 2016, सा.का.नि 941(अ), तारीख 30 सितंबर, 2016, सा.का.नि 51(अ), तारीख 18 जनवरी, 2017, सा.का.नि 385(अ), तारीख 31 मार्च, 2017 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 2017

F. No. 7/10/2014-NS.– In pursuance of clause (ae) of rule 2 read with sub-rule (3) of rule 4 of the National Savings Time Deposit Rules, 1981, the Central Government hereby authorises all public sector banks and ICICI Bank, Axis Bank and HDFC Bank Ltd. to receive subscriptions under the National Savings Time Deposit Scheme, 1981 (herein referred to as the said Scheme), with effect from the date of publication in the Official Gazette.

2. The authorisation under this notification is subject to the following conditions, namely:-

(i) there is dedicated software in the bank for operation and accounting of small savings schemes with specific functionality for each scheme;

(ii) the bank may manage the deposit of subscription in accordance with the said Scheme, through on-line operations in all branches that are on Core Banking Solution, subject to adequate security checks and the branches that are not on Core Banking Solution may operate deposit of subscription under the said Scheme, manually;

(iii) all remittances shall be credited to the Government Account at the Reserve Bank of India, Central Accounts Section, Nagpur within one day in case of Core Banking Solution branches and three days in case of non-Core Banking Solution branches;

(iv) in case of delay in remittances beyond the period in clause (iii), the Bank shall pay a penalty equal to the rate of interest payable to the depositor plus 0.5% in case of delays upto thirty days, and 1% in case of delays beyond thirty days;

(v) the Bank shall, subject to the reasonable justification furnished to the Central Government, declare in advance the list of branches that shall not accept deposits of subscription under the said Scheme;

(vi) in case of any pecuniary liability arising from the failure of the Bank to perform in accordance with the provisions of the said Scheme, the Bank shall be liable to bear the liability, in addition to being liable to be de-authorised to operate small savings schemes;

(vii) in case of any amount including penalties, becoming due from any Bank under these terms and conditions, the Central Government shall realize the amount from the Bank;

(viii) every Bank shall submit periodic reports to the Central Government concerning the deposits of subscription and withdrawals etc. under the said Scheme.

Explanation.- For the purpose of this notification, the expression "public sector bank" shall have the same meaning as assigned to it in the explanation to clause (23D) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961).

[F. No. 7/10/2014-NS]

PRASHANT GOYAL, Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published *vide* G.S.R. 664(E), dated the 17th December, 1981, and subsequently amended vide: - G.S.R. 300(E), dated the 1st April, 1982, G.S.R. 257(E), dated the 11th March, 1983, G.S.R. 502(E), dated the 9th July, 1984, G.S.R. 418(E), dated the 10th May, 1985, G.S.R. 193(E), dated the 12th February, 1986, G.S.R. 362(E), dated the 1st April, 1987, G.S.R. 1005(E), dated the 23rd December, 1987, G.S.R. 353(E), dated the 18th March, 1988, G.S.R. 507(E), dated the 23rd May, 1990, G.S.R. 191(E), dated the 27th March, 1991, G.S.R. 580(E), dated the 12th September, 1991, G.S.R. 727(E), dated the 6th December, 1991, G.S.R. 431(E), dated the 24th April, 1992, G.S.R. 586(E), dated the 2nd September, 1993, G.S.R. 118(E), dated the 8th March, 1995, G.S.R. 5(E), dated the 1st January, 1999, G.S.R. 43(E), dated the 15th January, 2000, G.S.R. 151(E), dated the 1st March, 2001, G.S.R. 159(E), dated the 1st March, 2002, G.S.R. 174(E), dated the 1st March, 2003, G.S.R. 589(E), dated the 25th July, 2003, G.S.R. 286(E), dated the 13th May, 2005, G.S.R. 479(E), dated the 26th June, 2008, G.S.R. 742(E), dated the 4th October, 2011, G.S.R. 846(E), dated the 25th November, 2011, G.S.R. 323(E), dated the 25th April, 2012, G.S.R. 400(E), dated the 25th June, 2013, G.S.R. 222(E), dated the 13th March, 2014, G.S.R. 490 (E), dated the 11th July, 2014, G.S.R. 356 (E) dated the 29th March, 2016, G.S.R. 941(E), dated the 30th September, 2016, G.S.R. 51 (E), dated the 18th January, 2017 and G.S.R. 385(E), dated the 31st March, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2017

फा.सं. 7/10/2014-एनएस.— केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) नियम, 1987 के नियम 4 के साथ पठित नियम 2 के खंड (खक) के अनुसरण में पब्लिक सेक्टर के सभी बैंकों और तीन प्राइवेट बैंक अर्थात आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड; ऐक्सिस बैंक तथा एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) नियम, 1987 के अधीन राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से अभिदान प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. इस अधिसूचना के अधीन प्राधिकार निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है, अर्थात-

(i) अल्प बचत स्कीमों के प्रचालन और लेखाकरण के लिए प्रत्येक स्कीम के विनिर्दिष्ट कृत्यकारी सहित बैंक में समर्पित सॉफ्टवेयर हो;

(ii) बैंक सभी शाखाओं में ऑनलाइन प्रचालनों के माध्यम से इस स्कीम को प्रबंध कर सकेंगे जो पर्याप्त सुरक्षा जांच के अध्यधीन कोर बैंककारी सोल्युशन (सीबीएस) पर है। शाखाएं, जिन्हें शाखाओं में कोर बैंककाकरी सोल्युशन (सीबीएस) नहीं है वह राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता स्कीम हस्तलिखित रूप से प्रचालन कर सकेंगे।

(iii) सभी विप्रेषण भारतीय रिजर्व बैंक के सरकारी लेखा अनुभाग, नागपुर में, सरकारी खाते में कोर बैंककारी सोल्युशन शाखाओं के मामले में एक दिन के भीतर और गैर कोर बैंककारी सोल्युशन शाखाओं के मामले में तीन दिनों के भीतर जमा किए जाएंगे; विप्रेषण में विलंब होने पर तीस दिन तक विलंब के मामले में बैंक जमाकर्ता को भुगतान योग्य ब्याज दर और 0.5% के बराबर और तीस दिन से अधिक विलंब होने के मामले में और 1% की शास्ति का भुगतान करेगा;

(iv) बैंक शाखाओं की सूची अग्रिम में घोषणा करेंगे जो इस स्कीम में प्रचालन नहीं करेंगे;

(v) बैंक की कोई सीबीएस शाखाएं इस स्कीम प्रचालन से अपवर्जितत होती हैं ऐसा बैंक इस बारे में वित्त मंत्रालय को सम्यक अधिकारिता प्रदान करेगा;

(vi) स्कीम उपबंधों के अनुसार राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) स्कीम प्रचालन के लिए बैंक असफल होने पर उद्भूत किसी धनीय दायित्व स्कीम प्रचालन के लिए अप्राधिकृत होने हेतु दायी के अतिरिक्त ,बैंक उसी वहन के लिए दायी होगा;

(vii) इन निबंधनों और शर्तों के आधार पर किसी बैंक से शोध्य होने पर शास्तियों सहित किसी रकम के मामले में, केंद्र सरकार उस राशि को बैंक से वसूल करेगी;

(viii) बैंक इस स्कीम के प्रचालन के संबंध में वित्त मंत्रालय को आवधिक रिपोर्टे प्रस्तुत करेंगे।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए पद पब्लिक सेक्टर के बैंक" का वही अर्थ होगा जैसाकि आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23घ) में दिए गए स्पष्टीकरण समनुदेशित किया गया है।

[फा.सं. 7/10/2014-एनएस]

प्रशांत गोयल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम सा.का.नि. 701 (अ) तारीख 10 अगस्त, 1987 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात सा.का.नि 805(अ), तारीख 21 जुलाई, 1988, सा.का.नि 46(अ), तारीख 20 जनवरी, 1989, सा.का.नि 581(अ), तारीख 12 सितंबर,1991, सा.का.नि 430(अ), तारीख 24 अप्रैल, 1992, सा.का.नि 390(अ), तारीख 29 अप्रैल, 1993, सा.का.नि 585(अ), तारीख 2 सितंबर, 1993, सा.का.नि 5(अ), तारीख 1 जनवरी, 1999, सा.का.नि 45(अ), तारीख 15 जनवरी, 2000, सा.का.नि 80(अ), तारीख 1 फरवरी, 2000, सा.का.नि 613(अ), तारीख 18 जुलाई, 2000, सा.का.नि 153(अ), तारीख 1 मार्च, 2001, सा.का.नि 161(अ), तारीख 1 मार्च, 2002, सा.का.नि 350(अ), तारीख 10 मई, 2002 सा.का.नि 176(अ), तारीख 1 मार्च, 2003, सा.का.नि 758(अ), तारीख 23 सितंबर, 2003, सा.का.नि 288(अ), तारीख 13 मई, 2005, सा.का.नि 59(अ), तारीख 10 फरवरी, 2006, सा.का.नि 521(अ), तारीख 1 अगस्त, 2007, सा.का.नि 763(अ), तारीख 8 दिसंबर, 2007, सा.का.नि 741(अ), तारीख 4 अक्तूबर, 2011, सा.का.नि 845(अ), तारीख 25 नवंबर, 2011, सा.का.नि 322(अ), तारीख 25 अप्रैल, 2012, सा.का.नि 399(अ), तारीख 25 जून, 2013, सा.का.नि 223(अ), तारीख 13 मार्च, 2014, सा.का.नि 490(अ), तारीख 11 जुलाई, 2014, सा.का.नि 349(अ), तारीख 29 मार्च, 2016, सा.का.नि 942(अ), तारीख 30 सितंबर, 2016, सा.का.नि 52(अ), तारीख 18 जनवरी, 2017, सा.का.नि 384(अ), तारीख 31 मार्च, 2017 द्वारा संशोधित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 2017

F. No. 7/10/2014-NS.– In pursuance of clause (ba) of rule 2 read with rule 4 of the National Savings (Monthly Income Account) Rules, 1987, the Central Government hereby authorises all public sector banks and ICICI Bank, Axis Bank and HDFC Bank Ltd. to receive subscription, under the National Savings (Monthly Income Account) Scheme, 1987 (herein referred to as the said Scheme), with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. The authorisation under this notification is subject to the following conditions, namely:-

(i) there is dedicated software in the bank for operation and accounting of small savings schemes with specific functionality for each scheme;

(ii) the bank may manage the deposit of subscription in accordance with the said Scheme, through on-line operations in all branches that are on Core Banking Solution, subject to adequate security checks and the branches that are not on Core Banking Solution may operate deposit of subscription under the said Scheme, manually;

(iii) all remittances shall be credited to the Government Account at the Reserve Bank of India, Central Accounts Section, Nagpur within one day in case of Core Banking Solution branches and three days in case of non-Core Banking Solution branches;

(iv) in case of delay in remittances beyond the period in clause (iii), the Bank shall pay a penalty equal to the rate of interest payable to the depositor plus 0.5% in case of delays upto thirty days, and 1% in case of delays beyond thirty days;

(v) the Bank shall, subject to the reasonable justification furnished to the Central Government, declare in advance the list of branches that shall not accept deposits of subscription under the said Scheme;

(vi) in case of any pecuniary liability arising from the failure of the Bank to perform in accordance with the provisions of the said Scheme, the Bank shall be liable to bear the liability, in addition to being liable to be de-authorised to operate small savings schemes;

(vii) in case of any amount including penalties, becoming due from any Bank under these terms and conditions, the Central Government shall realize the amount from the Bank;

(viii) every Bank shall submit periodic reports to the Central Government concerning the deposits of subscription and withdrawals etc. under the said Scheme.

Explanation.- For the purpose of this notification, the expression "public sector bank" shall have the same meaning as assigned to it in the explanation to clause (23D) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961).

[F. No. 7/10/2014-NS]

PRASHANT GOYAL, Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published vide G. S. R. 701(E), dated the 10th August, 1987, and subsequently amended vide: - G.S.R. 805(E), dated the 21st July, 1988, G.S.R. 46(E), dated the 20th January, 1989, G.S.R. 581(E), dated the 12th September, 1991, G.S.R. 430(E), dated the 24th April, 1992, G.S.R. 390(E), dated the 29th April, 1993, G.S.R. 585(E), dated the 2nd September, 1993, G.S.R. 5(E), dated the 1st January, 1999, G.S.R. 45(E), dated the 15th January, 2000, G.S.R. 80(E), dated the 1st February, 2000, G.S.R. 613(E), dated the 18th July, 2000, G.S.R. 153(E), dated the 1st March, 2001, G.S.R. 161(E), dated the 1st March, 2002, G.S.R. 350(E), dated the 10th May, 2002, G.S.R. 176(E), dated the 1st March, 2003, G.S.R. 758(E), dated the 23rd September, 2003, G.S.R. 288(E), dated the 13th May, 2005, G.S.R. 59(E), dated the 10th February, 2006, G.S.R. 521(E), dated the 1st August, 2007, G.S.R. 763(E) dated the 8th December, 2007 and G.S.R. 741(E), dated the 4th October, 2011 and G.S.R. 845(E), dated the 25th November, 2011, G.S.R. 322(E), dated the 25th April, 2012, G.S.R. 399(E), dated the 25th June, 2013, G.S.R. 223(E), dated the 13th March, 2014, G.S.R. 490 (E), dated the 11th July, 2014 and G.S.R. 349(E), dated the 29th March, 2016, G.S.R. 942(E), dated the 30th September, 2016, G.S.R. 52(E), dated the 18th January, 2017 and G.S.R. 384(E), dated the 31st March, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2017

फा.सं. 7/10/2014-एनएस.—केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा नियम, 1981 के नियम 6 के उप-नियम (5) के साथ पठित नियम 2 के खंड (कक) के अनुसरण में पब्लिक सेक्टर के सभी बैंकों और तीन प्राइवेट बैंक अर्थात आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड; ऐक्सिस बैंक तथा एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा नियम, 1981 के अधीन राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से अभिदान प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. इस अधिसूचना के अधीन प्राधिकार निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है, अर्थात-

(i) अल्प बचत स्कीमों के प्रचालन और लेखाकरण के लिए प्रत्येक स्कीम के विनिर्दिष्ट कृत्यकारी सहित बैंक में समर्पित सॉफ्टवेयर हो;

(ii) बैंक सभी शाखाओं में ऑनलाइन प्रचालन के माध्यम से इस स्कीम के अनुसार अभिदान जमा का प्रबंधन करे वह कोर बैंककारी सोल्युशन पर पर्याप्त सुरक्षा जांचों के अधीन हो और जिन शाखाओं में कोर बैंककाकरी सोल्युशन (सीबीएस) नहीं है, वे उक्त स्कीम के अधीन हस्तलिखित रूप में अभिदान जमा राशि का प्रचालन कर सकते हैं।

(iii) सभी विप्रेषण भारतीय रिजर्व बैंक के सरकारी लेखा अनुभाग, नागपुर में (सीएएस) सरकारी खाते में कोर बैंककारी सोल्युशन शाखाओं के मामले में एक दिन के भीतर और गैर कोर बैंककारी सोल्युशन शाखाओं के मामले में तीन दिनों के भीतर जमा किए जाएंगे; विप्रेषण में विलंब होने पर तीस दिन तक विलंब के मामले में बैंक जमाकर्ता को भुगतान योग्य ब्याज दर और 0.5% के बराबर और तीस दिन से अधिक विलंब होने के मामले में और 1% की शास्ति का भुगतान करेगा;

(iv) बैंक शाखाओं की सूची अग्रिम में घोषणा करेंगे जो इस स्कीम को प्रचालन नहीं करेंगे;

(v) बैंक की कोई सीबीएस शाखाएं इस स्कीम प्रचालन से अपवर्जित होते हैं, ऐसा बैंक इस बारे में वित्त मंत्रालय को सम्यक अधिकारिता प्रदान करेंगे;

(vi) स्कीम उपबंधों के अनुसार राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा स्कीम प्रचालन के लिए बैंक असफल होने पर उद्भूत किसी धनीय दायित्व, स्कीम प्रचालन के लिए अप्राधिकृत होने हेतु दायी के अतिरिक्त, बैंक उसी वहन के लिए दायी होगा;

(vii) इन निबंधनों और शर्तों के आधार पर किसी बैंक से शोध्य होने पर शास्तियों सहित किसी रकम के मामले में, केंद्र सरकार उस राशि को बैंक से वसूल करेगी;

(viii) बैंक इस स्कीम के प्रचालन के संबंध में वित्त मंत्रालय को आवधिक रिपोर्टें प्रस्तुत करेंगे।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए पद पब्लिक सेक्टर के बैंक" का वही अर्थ होगा जैसाकि आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23घ) में दिए गए स्पष्टीकरण समनुदेशित किया गया है।

[फा. सं. 7/10/2014-एनएस]

प्रशांत गोयल,संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम सा.का.नि. 666 (अ) तारीख 17 दिसंबर, 1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात सा.का.नि 301(अ), तारीख 1 अप्रैल, 1982, सा.का.नि 258(अ), तारीख 11 मार्च, 1983, सा.का.नि 62(अ), तारीख 14 फरवरी,1984, सा.का.नि 95(अ), तारीख 7 फरवरी, 1986, सा.का.नि 194(अ), तारीख 13 फरवरी, 1986, सा.का.नि 363(अ), तारीख 1 अप्रैल, 1987, सा.का.नि 39(अ), तारीख 16 जनवरी, 1988, सा.का.नि 458(अ), तारीख 15 अप्रैल, 1988, सा.का.नि 708(अ), तारीख 21 जुलाई, 1989, सा.का.नि 16(अ), तारीख 9 जनवरी, 1990, सा.का.नि 190(अ), तारीख 27 मार्च, 1991, सा.का.नि 579(अ), तारीख 12 सितंबर,

1991, सा.का.नि 918(अ), तारीख 11 दिसंबर, 1992 सा.का.नि 42(अ), तारीख 1 फरवरी, 1993, सा.का.नि 587(अ), तारीख 2 सितंबर, 1993, सा.का.नि 2(अ), तारीख 1 जनवरी, 1999, सा.का.नि 748(अ), तारीख 4 नवंरब, 1999, सा.का.नि 44(अ), तारीख 15 जनवरी, 2000, सा.का.नि 152(अ), तारीख 1 मार्च, 2001, सा.का.नि 160(अ), तारीख 1 मार्च, 2002, सा.का.नि 514(अ), तारीख 23 जुलाई, 2002, सा.का.नि 662(अ), तारीख 23 सितंबर, 2002, सा.का.नि 175(अ), तारीख 1 मार्च, 2003, सा.का.नि 588(अ), तारीख 25 मार्च, 2003, सा.का.नि 838(अ), तारीख 27 दिसंबर, 2004, सा.का.नि 480(अ), तारीख 26 जून, 2008, सा.का.नि 740(अ), तारीख 4 अक्तूबर, 2011, सा.का.नि 843(अ), तारीख 25 नवंबर, 2011, सा.का.नि 320(अ), तारीख 25 अप्रैल, 2012 सा.का.नि 398(अ), तारीख 25 जून, 2013, सा.का.नि 221(अ), तारीख 13 मार्च, 2014, सा.का.नि 491(अ), तारीख 11 जुलाई, 2014, सा.का.नि 355(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 सा.का.नि 943(अ), तारीख 30 सितंबर, 2016, सा.का.नि 53(अ), तारीख 18 जनवरी, 2017, सा.का.नि 383(अ), तारीख 31 मार्च, 2017 द्वारा संशोधित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 2017

F. No. 7/10/2014-NS.– In pursuance of clause (aa) of rule 2 read with sub-rule (5) of rule 6 of the National Savings Recurring Deposit Rules, 1981, the Central Government hereby authorises all public sector banks and ICICI Bank, Axis Bank and HDFC Bank Ltd. to receive, subscriptions under the National Savings Recurring Deposit Scheme, 1981 (herein referred to as the said Scheme), with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. The authorisation under this notification is subject to the following conditions, namely:-

(i) there is dedicated software in the bank for operation and accounting of small savings schemes with specific functionality for each scheme;

(ii) the bank may manage the deposit of subscription in accordance with the said Scheme, through on-line operations in all branches that are on Core Banking Solution, subject to adequate security checks and the branches that are not on Core Banking Solution may operate deposit of subscription under the said Scheme, manually;

(iii) all remittances shall be credited to the Government Account at the Reserve Bank of India, Central Accounts Section, Nagpur within one day in case of Core Banking Solution branches and three days in case of non-Core Banking Solution branches;

(iv) in case of delay in remittances beyond the period in clause (iii), the Bank shall pay a penalty equal to the rate of interest payable to the depositor plus 0.5% in case of delays upto thirty days, and 1% in case of delays beyond thirty days;

(v) the Bank shall, subject to the reasonable justification furnished to the Central Government, declare in advance the list of branches that shall not accept deposits of subscription under the said Scheme;

(vi) in case of any pecuniary liability arising from the failure of the Bank to perform in accordance with the provisions of the said Scheme, the Bank shall be liable to bear the liability, in addition to being liable to be de-authorised to operate small savings schemes;

(vii) in case of any amount including penalties, becoming due from any Bank under these terms and conditions, the Central Government shall realize the amount from the Bank;

(viii) every Bank shall submit periodic reports to the Central Government concerning the deposits of subscription and withdrawals etc. under the said Scheme.

Explanation.- For the purpose of this notification, the expression "public sector bank" shall have the same meaning as assigned to it in the explanation to clause (23D) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961).

[F.No. 7/10/2014-NS]

PRASHANT GOYAL, Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published vide G. S. R. 666(E), dated the 17th December, 1981, and subsequently amended vide: - G.S.R. 301(E), dated the 1st April, 1982, G.S.R. 258(E), dated the 11th March, 1983, G.S.R. 62(E), dated the 14th February, 1984, G.S.R. 95(E), dated the 7th February, 1986, G.S.R. 194(E), dated the 13th February, 1986, G.S.R. 363(E), dated the 1st April, 1987, G.S.R. 39(E), dated the 16th January, 1988, G.S.R. 458(E), dated the 15th April, 1988, G.S. R. 708(E), dated the 21st July, 1989, G.S.R. 16(E), dated the 9th January, 1990, G.S.R. 190(E), dated the 27th March, 1991, G.S.R. 579(E), dated the 12th September, 1991, G.S.R. 918(E), dated the 11th December, 1992, G.S.R. 42(E), dated the 1st February, 1993, G.S.R. 587(E), dated the 2nd September, 1993, G.S.R. 2(E), dated the 1st January, 1999, G.S.R. 748(E), dated the 4th November, 1999, G.S.R. 44(E), dated the 15th January, 2000, G.S.R. 152(E), dated the 1st March, 2001, G.S.R. 160(E) dated the 1st March, 2002, G.S.R. 514(E), dated the 23rd July, 2002, G.S.R. 662(E), dated the 23rd September, 2002, G.S.R. 175(E), dated the 1st March, 2003, G.S.R. 588(E), dated the 25th July, 2003, G.S.R. 838 (E), dated the 27th December, 2004, G.S.R. 480(E), dated the 26th June, 2008 and G.S.R. 740(E), dated the 4th October, 2011 and G.S.R. 843(E), dated the 25th November, 2011, G.S.R. 320(E), dated the 25th April, 2012, G.S.R. 398 (E), dated the 25th June, 2013, G.S.R. 221 (E), dated 13th March, 2014, G.S.R. 491 (E), dated the 11th July, 2014, G.S.R. 355(E), dated the 29th March, 2016, G.S.R. 943 (E), dated the 30th September, 2016, G.S.R. 53 (E), dated the 18th January, 2017 and G.S.R. 383 (E), dated the 31st March, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2017

फा. सं. 7/10/2014-एनएस.—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (VIII निर्गम) नियम, 1989 के नियम 6 के साथ पठित नियम 2 के खंड (झक) के अनुसरण में केंद्रीय सरकार के सभी बैंकों और तीन प्राइवेट बैंक अर्थात आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड; ऐक्सिस बैंक तथा एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को राष्ट्रीय बचत पत्र (VIII निर्गम) नियम, 1989 के अधीन राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से अभिदान प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. इस अधिसूचना के अधीन प्राधिकार निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है, अर्थात-

(i) अल्प बचत स्कीमों के प्रचालन और लेखाकरण के लिए प्रत्येक स्कीम के विनिर्दिष्ट कृत्यकारी सहित बैंक में समर्पित सॉफ्टवेयर हो;

(ii) बैंक सभी शाखाओं में ऑनलाइन प्रचालनों के माध्यम से स्कीम प्रबंधन कर सकेंगे जो पर्याप्त सुरक्षा जांच के अध्यधीन कोर बैंककारी सोल्युशन (सीबीएस) पर है। शाखाएं हस्तलिखित रूप से राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (VIII निर्गम) प्रचालन कर सकेंगी।

(iii) सभी विप्रेषण भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर में, सरकारी खाते में कोर बैंककारी सोल्युशन शाखाओं के मामले में एक दिन के भीतर और गैर कोर बैंककारी सोल्युशन शाखाओं के मामले में तीन दिनों के भीतर जमा किए जाएंगे, विप्रेषण में विलंब होने पर तीस दिन तक विलंब के मामले में बैंक जमाकर्ता को भुगतान योग्य ब्याज दर और 0.5% के बराबर और तीस दिन से अधिक विलंब होने के मामले में और 1% का शास्ति का भुगतान करेगा;

(iv) बैंक शाखाओं की सूची अग्रिम में घोषणा करेंगे जो इस स्कीम को प्रचालन नहीं करेंगे;

(v) बैंक की कोई सीबीएस शाखाएं इस स्कीम प्रचालन से अपवर्जितत होते हैं, ऐसा बैंक इस बारे में वित्त मंत्रालय को सम्यक अधिकारिता प्रदान करेंगे;

(vi) स्कीम उपबंधों के अनुसार राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (VIII निर्गम) प्रचालन के लिए असफल होने पर उद्भूत किसी धनीय दायित्व, स्कीम प्रचालन के लिए अप्राधिकृत होने हेतु दायी के अतिरिक्त ,बैंक उसी वहन के लिए दायी होगा;

(vii) इन निबंधनों और शर्तों के आधार पर किसी बैंक से शोध्य होने पर शास्तियों सहित किसी रकम के मामले में, केंद्र सरकार उस राशि को बैंक से वसूल करेगी;

(viii) बैंक इस स्कीम प्रचालन से संबंधित वित्त मंत्रालय को आवधिक रिपोर्टें प्रस्तुत करेंगे।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए पद पब्लिक सेक्टर के बैंक" का वही अर्थ होगा जैसा कि आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23घ) में दिए गए स्पष्टीकरण समनुदेशित किया गया है।

[फा.सं. 7/10/2014-एनएस]

प्रशांत गोयल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम सा.का.नि. 496 (अ) तारीख 1 मई, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात सा.का.नि 508(अ), तारीख 23 मई, 1990, सा.का.नि 120(अ), तारीख 8 मार्च, 1998, सा.का.नि 7(अ), तारीख 1 जनवरी,1999, सा.का.नि 491(अ), तारीख 6 जुलाई, 1999, सा.का.नि 47(अ), तारीख 15 जनवरी, 2000, सा.का.नि 156(अ), तारीख 1 मार्च, 2001, सा.का.नि 572(अ), तारीख 2 अक्तूबर, 2001, सा.का.नि 162(अ), तारीख 1 मार्च, 2002, सा.का.नि 711(अ), तारीख 17 अक्तूबर, 2002, सा.का.नि 179(अ), तारीख 1 मार्च, 2003, सा.का.नि 590(अ), तारीख 25 जुलाई, 2003, सा.का.नि 591(अ), तारीख 25 जुलाई, 2003, सा.का.नि 820(अ), तारीख 16 अक्तूबर, 2003, सा.का.नि 289(अ), तारीख 13 मई, 2005, सा.का.नि 744(अ), तारीख 4 अक्तूबर, 2011, सा.का.नि 842(अ), तारीख 25 नवंबर, 2011, सा.का.नि 318(अ), तारीख 25 अप्रैल, 2013, सा.का.नि 397(अ), तारीख 25 जून, 2013, सा.का.नि 226(अ), तारीख 13 मार्च, 2014, सा.का.नि 494(अ), तारीख 11 जुलाई, 2014, सा.का.नि 354(अ), तारीख 29 मार्च, 2016, सा.का.नि 944(अ), तारीख 30 सितंबर, 2016, सा.का.नि 54(अ), तारीख 18 जनवरी, 2017, सा.का.नि 382(अ), तारीख 31 मार्च, 2017 द्वारा संशोधित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 2017

F. No. 7/10/2014-NS.—In pursuance of clause (ia) of rule 2 read with rule 6 of the National Savings Certificates (VIII Issue) Rules, 1989, the Central Government hereby authorises all public sector banks and ICICI Bank, Axis Bank and HDFC Bank Ltd. to receive subscriptions under the National Savings Certificates (VIII Issue) Scheme, 1989 (herein referred to as the said Scheme), with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. The authorisation under this notification is subject to the following conditions, namely:-

(i) there is dedicated software in the bank for operation and accounting of small savings schemes with specific functionality for each scheme;

(ii) the bank may manage the deposit of subscription in accordance with the said Scheme, through on-line operations in all branches that are on Core Banking Solution, subject to adequate security checks and the branches that are not on Core Banking Solution may operate deposit of subscription under the said Scheme, manually;

(iii) all remittances shall be credited to the Government Account at the Reserve Bank of India, Central Accounts Section, Nagpur within one day in case of Core Banking Solution branches and three days in case of non-Core Banking Solution branches;

(iv) in case of delay in remittances beyond the period in clause (iii), the Bank shall pay a penalty equal to the rate of interest payable to the depositor plus 0.5% in case of delays upto thirty days, and 1% in case of delays beyond thirty days;

(v) the Bank shall, subject to the reasonable justification furnished to the Central Government, declare in advance the list of branches that shall not accept deposits of subscription under the said Scheme;

(vi) in case of any pecuniary liability arising from the failure of the Bank to perform in accordance with the provisions of the said Scheme, the Bank shall be liable to bear the liability, in addition to being liable to be de-authorised to operate small savings schemes;

(vii) in case of any amount including penalties, becoming due from any Bank under these terms and conditions, the Central Government shall realize the amount from the Bank;

(viii) every Bank shall submit periodic reports to the Central Government concerning the deposits of subscription and withdrawals etc. under the said Scheme.

Explanation.- For the purpose of this notification, the expression "public sector bank" shall have the same meaning as assigned to it in the explanation to clause (23D) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961).

[F.No. 7/10/2014-NS]

PRASHANT GOYAL, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published vide G.S.R. 496(E), dated the 1st May, 1989, and subsequently amended vide: G.S.R. 508(E), dated the 23rd May, 1990, G.S.R. 120(E), dated the 8th March, 1998, G.S.R. 7(E), dated the 1st January, 1999, G.S.R. 491(E), dated the 6th July, 1999, G.S.R. 47(E), dated the 15th January, 2000, G.S.R. 156(E), dated the 1st March, 2001, G.S.R. 572(E), dated the 2nd August, 2001, G.S.R. 163(E), dated the 1st March, 2002, G.S.R. 711(E), dated the 17th October, 2002, G.S.R. 179(E), dated the 1st March, 2003, G.S.R. 590(E), dated the 25th July, 2003, G.S.R. 591(E), dated the 25th July, 2003, G.S.R. 820(E), dated the 16th October, 2003, G.S.R. 289(E), dated the 13th May, 2005, G.S.R. 744(E), dated the 4th October, 2011 and G.S.R. 842(E), dated the 25th November, 2011, G.S.R. 318(E), dated the 25th April, 2013, G.S.R. 397(E), dated the 25th June, 2013, G.S.R. 226(E), dated the 13th March, 2014, G.S.R. 494 (E), dated the 11th July, 2014, G.S.R. 354(E), dated the 29th March, 2016, G.S.R. 944(E) dated the 30th September, 2016 and G.S.R., G.S.R. 54(E) dated the 18th January, 2017 and G.S.R. 382(E), dated the 31st March, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर, 2017

फा.सं. 7/10/2014-एनएस.— केन्द्रीय सरकार, किसान विकास पत्र नियम, 2014 के नियम 2(च) के अनुसरण में पब्लिक सेक्टर के सभी बैंक और तीन प्राइवेट बैंक अर्थात आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड; ऐक्सिस बैंक तथा एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को किसान विकास पत्र स्कीम, 2014 के अधीन राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त अभिदान प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. इस अधिसूचना के अधीन प्राधिकार निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है, अर्थात:-

(i) अल्प बचत स्कीमों के प्रचालन/लेखाकरण के लिए प्रत्येक स्कीम के विनिर्दिष्ट कृत्यकारी सहित बैंक में समर्पित सॉफ्टवेयर है;

(ii) बैंक सभी शाखाओं में ऑनलाइन प्रचालन के माध्यम से इस स्कीम के अनुसार अभिदान जमा का प्रबंधन करे वह कोर बैंककारी सोल्युशन पर पर्याप्त सुरक्षा जांचों के अधीन हो, जिन शाखाओं में कोर बैंकिंग सोल्युशन नहीं है, वे किसान विकास पत्र स्कीम के तहत हस्तलिखित रूप में अभिदान जमा राशि का संचालन कर सकते हैं;

(iii) सभी विप्रेषण भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर (सीएएस) में, सरकारी खाते में कोर बैंकिंग सोल्युशन शाखाओं के मामले में एक दिन के भीतर और गैर कोर बैंककारी सोल्युशन शाखाओं के मामले में तीन दिनों के भीतर जमा किए जाएंगे; विप्रेषण में विलंब होने के मामले तीस दिन तक विलंब के मामले में बैंक जमाकर्ता को भुगतान योग्य ब्याज दर और 0.5% के बराबर और तीस दिन से अधिक विलंब होने के मामले में और 1% की शास्ति का भुगतान करेगा;

(iv) बैंक शाखाओं की सूची अग्रिम में घोषणा करेंगे जो स्कीम का प्रचालन नहीं करेंगे।

(v) बैंक की कोई सीबीएस शाखाएं इस स्कीम प्रचालन से अपवर्जित होती हैं, ऐसा बैंक इस बारे में वित्त मंत्रालय को सम्यक अधिकारिता प्रदान करेगा

(vi) स्कीम के उपबंधों के अनुसार किसान विकास पत्र के प्रचालन के लिए बैंक के असफल होने पर उद्भूत किसी धनीय दायित्व स्कीम प्रचालन के लिए अप्राधिकृत होने हेतु दायी के अतिरिक्त, बैंक उसे वहन के लिए दायी होगा।

(vii) इन निबंधनों और शर्तों के आधार पर किसी बैंक से शोध्य होने पर शास्तियों सहित किसी रकम के मामले में केंद्र सरकार उस राशि को बैंक से वसूल करेगी।

(viii) बैंक, इस स्कीम के प्रचालन के संबंध में वित्त मंत्रालय को आवधिक रिपोर्टें प्रस्तुत करेगे।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए पद पब्लिक सेक्टर के बैंक" का वही अर्थ होगा जैसा कि आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23घ) में दिए गए स्पष्टीकरण समनुदेशित किया गया है।

[फा. सं. 7/10/2014-एनएस]

प्रशांत गोयल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम अधिसूचना सं.सा.का.नि. 705(अ) तारीख 23 सितंबर, 2014 प्रकाशित किए गए थे और बाद में सा.का.नि. 330(अ), तारीख 21 मार्च, 2016, सा.का.नि. 353(अ), तारीख 29 मार्च, 2016, सा.का.नि. 945(अ), तारीख 30 सितंबर, 2016 और सा.का.नि. 381(अ), तारीख 31 मार्च, 2017 द्वारा संशोधित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 2017

F. No. 7/10/2014-NS.– In pursuance of rule 2(f) of the Kisan Vikas Patra Rules, 2014, the Central Government hereby authorises all public sector banks and ICICI Bank Ltd., Axis Bank and HDFC Bank Ltd. to receive subscriptions under the Kisan Vikas Patra Scheme, 2014 (herein referred to as the said Scheme), with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. The authorisation under this notification is subject to the following conditions, namely:-

(i) there is dedicated software in the bank for operation and accounting of small savings schemes with specific functionality for each scheme;

(ii) the bank may manage the deposit of subscription in accordance with the said Scheme, through on-line operations in all branches that are on Core Banking Solution, subject to adequate security checks and the branches that are not on Core Banking Solution may operate deposit of subscription under the said Scheme, manually;

(iii) all remittances shall be credited to the Government Account at the Reserve Bank of India, Central Accounts Section, Nagpur within one day in case of Core Banking Solution branches and three days in case of non-Core Banking Solution branches;

(iv) in case of delay in remittances beyond the period in clause (iii), the Bank shall pay a penalty equal to the rate of interest payable to the depositor plus 0.5% in case of delays upto thirty days, and 1% in case of delays beyond thirty days;

(v) the Bank shall, subject to the reasonable justification furnished to the Central Government, declare in advance the list of branches that shall not accept deposits of subscription under the said Scheme;

(vi) in case of any pecuniary liability arising from the failure of the Bank to perform in accordance with the provisions of the said Scheme, the Bank shall be liable to bear the liability, in addition to being liable to be de-authorised to operate small savings schemes;

(vii) in case of any amount including penalties, becoming due from any Bank under these terms and conditions, the Central Government shall realize the amount from the Bank;

(viii) every Bank shall submit periodic reports to the Central Government concerning the deposits of subscription and withdrawals etc. under the said Scheme.

Explanation.- For the purpose of this notification, the expression "public sector bank" shall have the same meaning as assigned to it in the explanation to clause (23D) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961).

[F. No. 7/10/2014-NS]

PRASHANT GOYAL, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published vide G.S.R. 705(E), dated the 23rd September, 2014 and subsequently amended vide: G.S.R. 330(E), dated the 21st March, 2016, G.S.R. 353(E), dated the 29th March, 2016, G.S.R. 945(E) dated the 30th September, 2016 and G.S.R. 381(E), dated the 31st March, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2017

फा. सं. 7/10/2014-एनएस.— केंद्रीय सरकार, सुकन्या समृद्धि खाता नियम, 2016 के नियम 2 के खंड (घ) के अनुसरण में पब्लिक सेक्टर के सभी बैंकों और तीन प्राइवेट बैंक अर्थात आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड; ऐक्सिस बैंक तथा एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को सुकन्या समृद्धि खाता स्कीम, 2016 (जिसमें उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से अभिदान प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. इस अधिसूचना के अधीन प्राधिकार निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है, अर्थात:-

(i) अल्प बचत स्कीमों के प्रचालन और लेखाकरण के लिए प्रत्येक स्कीम के विनिर्दिष्ट कृत्यकारी सहित बैंक में समर्पित सॉफ्टवेयर हो;

(ii) बैंक सभी शाखाओं में ऑनलाइन प्रचालन के जरिए उक्त स्कीम के अनुसार अभिदान जमा का प्रबंधन करे वह कोर बैंककारी सोल्युशन पर पर्याप्त सुरक्षा जांचों के अधीन हो और जिन शाखाओं में कोर बैंककारी सोल्युशन नहीं है, वे उक्त स्कीम के अधीन हस्तलिखित रूप में अभिदान जमा राशि का संचालन कर सकते हैं;

(iii) सभी विप्रेषण भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय लेखा अनुभाग,नागपुर में, सरकारी खाते में कोर बैंकिंग सोल्युशन शाखाओं के मामले में एक दिन के भीतर और गैर कोर बैंककारी सोल्युशन न शाखाओं के मामले में तीन दिन के भीतर जमा किए जाएंगे;

(iv) खंड (ii) में विनिर्दिष्ट अवधि के परे विप्रेषण में विलंब होने पर तीस दिन तक विलंब के मामले में बैंक जमाकर्ता को भुगतान योग्य ब्याज दर और 0.5% के बराबर और तीस दिन तक विलंब होने के मामले में और 1% का शास्ति का भुगतान करेगा;

(v) केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत किए गए युक्तियुक्त प्रामाणिकता के अधीन बैंक, पहले ही उन शाखाओं की सूची घोषित करेगा जो उक्त स्कीम के तहत अभिदान जमा स्वीकार नहीं करेगा;

(vi) उक्त स्कीम के उपबंधों के अनुसार कार्य निष्पादन करने में विफलता के कारण उत्पन्न किसी आर्थिक देयता के मामले में बैंक से अल्प बचत स्कीम का संचालन करने का अधिकार वापस लिया जा सकता है इसके अलावा उसे देयता का वहन भी करना पड़ सकता है;

(vii) इन शर्तों और निबंधनों के अधीन किसी बैंक से शास्ति सहित किसी भी राशि के देय होने केन्द्रीय सरकार बैंक से इस राशि की वसूली करेगी;

(viii) उक्त स्कीम के अधीन अभिदान की जमा राशि और आहरण आदि के संबंध में प्रत्येक बैंक आवधिक रिपोर्टें केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए पद पब्लिक सेक्टर के बैंक" का वही अर्थ होगा जैसा कि आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23घ) में दिए गए स्पष्टीकरण समनुदेशित किया गया है।

[फा. सं. 7/10/2014-एनएस]

प्रशांत गोयल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : सुकन्या समृद्धि खाता नियम, 2014 अधिसूचना सं.सा.का.नि. 863(अ), तारीख 2 दिसंबर, 2014 द्वारा भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किए गए थे और बाद में सा.का.नि. 593(अ), तारीख 27 जुलाई, 2015, सा.का.नि. 352(अ), तारीख 29 मार्च, 2016, सा.का.नि. 939(अ), तारीख 30 सितंबर, 2016 और सा.का.नि. 387(अ), तारीख 31 मार्च, 2017 द्वारा संशोधित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2017

F. No. 7/10/2014-NS.– In pursuance of clause (d) of rule 2 of the Sukanya Samriddhi Account Rules, 2016, the Central Government hereby authorises all public sector banks and ICICI Bank Ltd., Axis Bank and HDFC Bank Ltd. to receive subscriptions under the Sukanya Samriddhi Account Scheme, 2016 (herein referred to as the said Scheme), with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. The authorisation under this notification is subject to the following conditions, namely:-

(i) there is dedicated software in the bank for operation and accounting of small savings schemes with specific functionality for each scheme;

(ii) the bank may manage the deposit of subscription in accordance with the said Scheme, through on-line operations in all branches that are on Core Banking Solution, subject to adequate security checks and the branches that are not on Core Banking Solution may operate deposit of subscription under the said Scheme, manually;

(iii) all remittances shall be credited to the Government Account at the Reserve Bank of India, Central Accounts Section, Nagpur within one day in case of Core Banking Solution branches and three days in case of non-Core Banking Solution branches;

(iv) in case of delay in remittances beyond the period in clause (iii), the Bank shall pay a penalty equal to the rate of interest payable to the depositor plus 0.5% in case of delays upto thirty days, and 1% in case of delays beyond thirty days;

(v) the Bank shall, subject to the reasonable justification furnished to the Central Government, declare in advance the list of branches that shall not accept deposits of subscription under the said Scheme;

(vi) in case of any pecuniary liability arising from the failure of the Bank to perform in accordance with the provisions of the said Scheme, the Bank shall be liable to bear the liability, in addition to being liable to be de-authorised to operate small savings scheme;

(vii) in case of any amount including penalties, becoming due from any Bank under these terms and conditions, the Central Government shall realize the amount from the Bank;

(viii) every Bank shall submit periodic reports to the Central Government concerning the deposits of subscription and withdrawals etc. under the said Scheme.

Explanation.- For the purpose of this notification, the expression “public sector Bank” shall have the same meaning as assigned it in the explanation to clause (23D) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961).

[F. No. 7/10/2014-NS]

PRASHANT GOYAL, Jt. Secy.

Note : The Sukanya Samriddhi Account Rules, 2014 were published in the Gazette of India (Extraordinary) *vide* notification number G.S.R. 863(E), dated the 2nd December, 2014 and subsequently amended *vide* G.S.R. 593(E), dated the 27th July, 2015, G.S.R. 352 (E), dated the 29th March, 2016, G.S.R. 939 (E), dated the 30th September, 2016 and G.S.R. 387 (E), dated the 31st March, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2017

फा. सं. 7/10/2014-एनएस.—केंद्रीय सरकार, लोक भविष्य निधि स्कीम, 1968 के पैरा 2 के खंड (ख) के अनुसरण में पब्लिक सेक्टर के सभी बैंकों और तीन प्राइवेट बैंक अर्थात आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड; ऐक्सिस बैंक तथा एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को लोक भविष्य निधि स्कीम 1968 के अधीन राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से अभिदान प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. इस अधिसूचना के तहत प्राधिकार निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है, अर्थात:-

(i) लघु बचत स्कीमों के प्रचालन लेखाकरण के लिए प्रत्येक स्कीम के विनिर्दिष्ट कृत्यकारी सहित बैंक में समर्पित सॉफ्टवेयर हो;

(ii) बैंक सभी शाखाओं में ऑनलाइन प्रचालन के माध्यम से इस स्कीम के अनुसार अभिदान जमा का प्रबंधन करे वह कोर बैंककारी सोल्युशन पर पर्याप्त सुरक्षा जांचों के अधीन हो जिन शाखाओं में कोर बैंककारी सोल्युशन नहीं है, वह भविष्य निधि स्कीम के अधीन हस्तलिखित रूप में अभिदान जमा राशि का संचालन कर सकते हैं;

(iii) सभी विप्रेषण भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय लेखा अनुभाग, (सीएएस) नागपुर में, सरकारी खाते में कोर बैंकिंग सोल्युशन शाखाओं के मामले में एक दिन के भीतर और गैर कोर बैंकिंग सोल्युशन शाखाओं के मामले में तीन दिनों के भीतर जमा किए जाएंगे; विनिर्दिष्ट अवधि के बाद विप्रेषण में विलंब के मामले में तीस दिन तक विलंब के मामले में बैंक जमाकर्ता को भुगतान योग्य ब्याज दर और 0.5% के बराबर और तीस दिन से अधिक विलंब होने के मामले में और 1% का शास्ति का भुगतान करेगा;

(iv) बैंक शाखाओं की सूची अग्रिम में घोषणा करेंगे जो इस स्कीम में प्रचालन नहीं करेंगे।

(v) बैंक की कोई सीबीएस शाखाएं इस स्कीम के प्रचालन से अपर्जित होती है, ऐसा बैंक इस बारे में वित्त मंत्रालय को सम्यक अधिकारिता प्रदान करेगा।

(vi) स्कीम के उपबंधों के अनुसार भविष्य निधि स्कीम प्रचालन के असफल होने पर उद्भूत धनीय दायित्व के मामले में स्कीम के प्रचालन के लिए अप्राधिकृत होने के दायी होते हुए इसके अतिरिक्त, बैंक उसी प्रकार को वहन करने के लिए दायी होगा।

(vii) इन निबंधनों और शर्तों के आधार पर किसी बैंक से शोध्य होने पर शास्तियों सहित किसी रकम के मामले में केंद्र सरकार उस राशि को बैंक से वसूल करेगी।

(viii) इस स्कीम के प्रचालन में बैक, वित्त मंत्रालय को आवधिक रिपोर्टें भेजेगा।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए पद पब्लिक सेक्टर के बैंक" का वही अर्थ होगा जैसा कि आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23घ) में दिए गए स्पष्टीकरण समनुदेशित किया गया है।

[फा. सं. 7/10/2014-एनएस]

प्रशांत गोयल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल स्कीम सा.का.नि. 1136 (अ) तारीख 15 जून, 1968 द्वारा अधिसूचित की गई थी और तत्पश्चात सा.का.नि 368(अ), तारीख 1 अगस्त, 1972, सा.का.नि 217(अ), तारीख 9 मार्च, 1979, सा.का.नि 271(अ), तारीख 16 मार्च, 1983, सा.का.नि 54(अ), तारीख 7 फरवरी, 1984,सा.का.नि 895(अ), तारीख 23 जून, 1986, सा.का.नि 1013(अ), तारीख 20 अगस्त, 1986, सा.का.नि 793(अ), तारीख 29 अगस्त, 1989, सा.का.नि 477(अ), तारीख 25 मई, 1994, सा.का.नि 489(अ), तारीख 6 जुलाई, 1999, सा.का.नि 908(अ), तारीख 6 दिसंबर,2000, सा.का.नि 679(अ), तारीख 4 अक्तूबर,2002, सा.का.नि 768(अ), तारीख 15 नवंबर, 2002, सा.का.नि 585(अ), तारीख 15 जुलाई, 2003, सा.का.नि. 690(अ), तारीख 27 अगस्त, 2003, सा.का.नि 755(अ), तारीख 19

नवंबर, 2004, सा.का.नि 291(अ), तारीख 13 मई, 2005, सा.का.नि. 956(अ), तारीख 7 दिसंबर, 2010, सा.का.नि. 844(अ), तारीख 25 नवंबर, 2011,और सा.का.नि. 225(अ), तारीख 13 मार्च, 2014, सा.का.नि. 496(अ), तारीख 11 जुलाई, 2014, सा.का.नि. 588(अ), तारीख 13 अगस्त, 2014, सा.का.नि. 350(अ), तारीख 29 मार्च, 2016, सा.का.नि. 940(अ), तारीख 30 सितंबर, 2017, और सा.का.नि. 388(अ), तारीख 31 मार्च, 2017 द्वारा संशोधित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 2017

F. No. 7/10/2014-NS.– In pursuance of clause (b) of paragraph 2 of the Public Provident Fund Scheme, 1968, the Central Government hereby authorises all public sector banks and ICICI Bank, Axis Bank and HDFC Bank Ltd. to receive subscriptions under the Public Provident Fund Scheme, 1968 (herein referred to as the said Scheme), with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. The authorisation under this notification is subject to the following conditions, namely:-

(i) there is dedicated software in the bank for operation and accounting of small savings schemes with specific functionality for each scheme;

(ii) the bank may manage the deposit of subscription in accordance with the said Scheme, through on-line operations in all branches that are on Core Banking Solution, subject to adequate security checks and the branches that are not on Core Banking Solution may operate deposit of subscription under the said Scheme, manually;

(iii) all remittances shall be credited to the Government Account at the Reserve Bank of India, Central Accounts Section, Nagpur within one day in case of Core Banking Solution branches and three days in case of non-Core Banking Solution branches;

(iv) in case of delay in remittances beyond the period in clause (iii), the Bank shall pay a penalty equal to the rate of interest payable to the depositor plus 0.5% in case of delays upto thirty days, and 1% in case of delays beyond thirty days;

(v) the Bank shall, subject to the reasonable justification furnished to the Central Government, declare in advance the list of branches that shall not accept deposits of subscription under the said Scheme;

(vi) in case of any pecuniary liability arising from the failure of the Bank to perform in accordance with the provisions of the said Scheme, the Bank shall be liable to bear the liability, in addition to being liable to be de-authorised to operate small savings schemes;

(vii) in case of any amount including penalties, becoming due from any Bank under these terms and conditions, the Central Government shall realize the amount from the Bank;

(viii) every Bank shall submit periodic reports to the Central Government concerning the deposits of subscription and withdrawals etc. under the said Scheme.

Explanation.- For the purpose of this notification, the expression "public sector bank" shall have the same meaning as assigned to it in the explanation to clause (23D) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961).

[F. No. 7/10/2014-NS]

PRASHANT GOYAL, Jt. Secy.

Note: The Principal Scheme was notified vide G.S.R. 1136(E), dated the 15th June,1968 and subsequently amended vide G.S.R. 368(E), dated the 1st August,1972, G.S.R. 217(E), dated the 9th March,1979, G.S.R. 271(E), dated the 16th March,1983, G.S.R. 54(E), dated the 7th February, 1984, G.S.R. 895(E), dated the 23rd June,1986 G.S.R. 1013(E), dated the 20th August,1986, G.S.R. 793(E), dated the 29th August,1989 G.S.R. 477(E), dated the 25th May,1994, G.S.R. 489(E), dated the 6th July,1999, G.S.R. 908(E), dated the 6th December,2000, G.S.R. 679(E), dated the 4th October,2002, G.S.R. 768(E), dated the 15th November, 2002, G.S.R. 585(E), dated the 15th July, 2003, G.S.R. 690(E), dated the 27th August,2003, G.S.R. 755(E), dated the 19th November,2004, G.S.R. 291(E), dated the 13th May,2005 , G.S.R. 956(E), dated the 7th December, 2010, G.S.R. 844(E), dated the 25th November, 2011, G.S.R. 225(E), dated the 13th March,2014, G.S.R. 496 (E), dated the 11th July, 2014, G.S.R. 588(E), dated the 13th August, 2014, G.S.R. 350 (E) dated the 29th March, 2016, G.S.R. 940 (E), dated the 30th September, 2017 and G.S.R. 388(E), dated the 31st March, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2017

फा. सं. 7/10/2014-एनएस.—केंद्रीय सरकार, वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम नियम, 2004 के नियम 2 के खंड (ङ) के उप-खंड (ii) के अनुसरण में पब्लिक सेक्टर के सभी बैंकों और तीन प्राइवेट बैंक अर्थात आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड; ऐक्सिस बैंक तथा एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम 2004 के अधीन राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से अभिदान प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. इस अधिसूचना के अधीन प्राधिकार निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है, अर्थात:-

(i) अल्प बचत स्कीमों के प्रचालन और लेखाकरण के लिए प्रत्येक स्कीम के विशिष्ट कृत्यकारी सहित बैंक में समर्पित सॉफ्टवेयर हो;

(ii) बैंक सभी शाखाओं में ऑनलाइन प्रचालनों के माध्यम से इस स्कीम को प्रबंध कर सकेंगे जिन्हें पर्याप्त सुरक्षा जांच के अध्यधीन कोर बैंककारी सोल्यूशन (सीबीएस) पर हैं। शाखाएं कोर बैंककारी सोल्यूशन नहीं हैं, हस्तालिखित रूप से वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम प्रचालन के लिए प्लेटफार्म में प्रचालन कर सकेंगे।

(iii) सभी विप्रेषण भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर में, सरकारी खाते में कोर बैंकिंग सोल्युशन शाखाओं के मामले में एक दिन के भीतर और गैर कोर बैंकिंग सोल्युशन शाखाओं के मामले में तीन दिनों के भीतर जमा किए जाएंगे; विप्रेषण में विलंब होने पर तीस दिन तक विलंब के मामले में बैंक जमाकर्ता को भुगतान योग्य ब्याज दर और 0.5% के बराबर और तीस दिन से अधिक विलंब होने के मामले में और 1% का शास्ति का भुगतान करेगा;

(iv) बैंक शाखाओं की सूची अग्रिम में घोषणा करेंगे जो इस स्कीम को प्रचालन नहीं करेंगे।

(v) बैंक को यदि कोई सीबीएस खाखाएं इस स्कीम में प्रचालन से अपवर्जित होते है ऐसा बैंक इस बारे में वित्त मंत्रालय को सम्यक अधिकारिता प्रदान करेंगे।

(vi) स्कीम उपबंधों के अनुसार वरिष्ठ नागरिक बचत प्रचालन के लिए असफल होने पर उद्भूत किसी धनीय दायित्व स्कीम प्रचालन के लिए अप्राधिकृत होने हेतु दायी के अतिरिक्त बैंक उसी वहन के लिए दायी होगा।

(vii) इन निबंधनों और शर्तों के आधार पर किसी बैंक से शोध्य होने पर शास्तियों सहित किसी रकम के मामले में केंद्र सरकार उस राशि को बैंक से वसूल करेगी।

(viii) बैंक इस स्कीम के प्रचालन से संबंधित वित्त मंत्रालय को आवधिक रिपोर्टें प्रस्तुत करेंगे।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए पद पब्लिक सेक्टर के बैंक" का वही अर्थ होगा जैसा कि आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23घ) में दिए गए स्पष्टीकरण समनुदेशित किया गया है।

[फा. सं. 7/10/2014-एनएस]

प्रशांत गोयल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम नियम, 2004 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 490(अ) तारीख 2 अगस्त,2004 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात सा.का.नि. 706(अ), तारीख 27 अक्तूबर, 2004, सा.का.नि. 176(अ), तारीख 23 मार्च, 2006, सा.का.नि. 390(अ), तारीख 16 मई, 2007, सा.का.नि. 639(अ), तारीख 28 जुलाई, 2010, सा.का.नि. 770(अ), तारीख 19 अक्तूबर, 2011, सा.का.नि. 321(अ), तारीख 25 अप्रैल, 2012, सा.का.नि. 402(अ), तारीख 25 जून, 2013, सा.का.नि. 224(अ), तारीख 13 मार्च, 2014, सा.का.नि. 492(अ), तारीख 11 जुलाई, 2014, सा.का.नि. 592(अ), तारीख 27 जुलाई,2015, सा.का.नि. 351(अ), तारीख 29 मार्च, 2016, सा.का.नि. 938(अ), तारीख 30 सितंबर, 2016, और सा.का.नि. 386(अ), तारीख 31 मार्च, 2017 द्वारा संशोधित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 2017

F. No. 7/10/2014-NS.– In pursuance of sub-clause (ii) of clause (e) of rule 2 of the Senior Citizen Savings Scheme Rules, 2004, the Central Government hereby authorises all public sector banks and ICICI Bank, Axis Bank and HDFC Bank Ltd. to receive subscriptions under the Senior Citizen Savings Scheme Rules, 2004 (herein referred to as the said Scheme), with effect from the date of the notification in the Official Gazette.

2. The authorisation under this notification is subject to the following conditions, namely:-

(i) there is dedicated software in the bank for operation and accounting of small savings schemes with specific functionality for each scheme;

(ii) the bank may manage the deposit of subscription in accordance with the said Scheme, through on-line operations in all branches that are on Core Banking Solution, subject to adequate security checks and the branches that are not on Core Banking Solution may operate deposit of subscription under the said Scheme, manually;

(iii) all remittances shall be credited to the Government Account at the Reserve Bank of India, Central Accounts Section, Nagpur within one day in case of Core Banking Solution branches and three days in case of non-Core Banking Solution branches;

(iv) in case of delay in remittances beyond the period in clause (iii), the Bank shall pay a penalty equal to the rate of interest payable to the depositor plus 0.5% in case of delays upto thirty days, and 1% in case of delays beyond thirty days;

(v) the Bank shall, subject to the reasonable justification furnished to the Central Government, declare in advance the list of branches that shall not accept deposits of subscription under the said Scheme;

(vi) in case of any pecuniary liability arising from the failure of the Bank to perform in accordance with the provisions of the said Scheme, the Bank shall be liable to bear the liability, in addition to being liable to be de-authorised to operate small savings schemes;

(vii) in case of any amount including penalties, becoming due from any Bank under these terms and conditions, the Central Government shall realize the amount from the Bank;

(viii) every Bank shall submit periodic reports to the Central Government concerning the deposits of subscription and withdrawals etc. under the said Scheme.

Explanation.- For the purpose of this notification, the expression "public sector bank" shall have the same meaning as assigned to it in the explanation to clause (23D) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961).

[F. No. 7/10/2014-NS]

PRASHANT GOYAL, Jt. Secy.

Note : The Senior Citizens Savings Scheme Rules, 2004 were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification number G.S.R. 490(E), dated the 2nd August, 2004 and subsequently amended vide numbers G.S.R. 706(E), dated the 27th October, 2004, GSR 176(E), dated the 23rd March, 2006, GSR 390(E), dated the 24th May 2007,G.S.R. 639(E), dated the 28th July, 2010, G.S.R. 770(E), dated the 19th October, 2011,G.S.R. 321(E), dated the 25th April, 2012, G.S.R. 402(E), dated the 25th June 2013, G.S.R. 224(E), dated the 13th March 2014, G.S.R. 492(E), dated the 11th July, 2014, G.S.R. 592(E) dated the 27th July, 2015, G.S.R. 351(E), dated the 29th March, 2016, G.S.R. 938(E), dated the 30th September, 2016 and G.S.R. 386(E), dated the 31st March, 2017.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.10.14 16:36:10 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.